





॥2॥ लेख्यधारिणी:- निशा लकड़ा पति श्री कमल संदीप लकड़ा  
जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- मुड़िया तेलंगा टोली,  
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, झारखंड ।

... भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार संख्या- 8088 5029 9251

पैन संख्या- ए.वाई.वाई.पी.एन. 9193के.

समथपत्र संख्या:- 282/2018

॥3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा दिन के वास्ते विक्रीहोता है ।

॥4॥ मूल्य:- मौबलिंग नौ लाख सत्तर हजार रुपये अके  
9,70,000/- रुपये होता है ।

॥5॥ सम्मति:- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा चौबोटोली,  
वार्ड नं० 16, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 116, सदर रजिस्ट्री  
ऑफिस वी जिला- सिमडेगा के खाता नं० 102 ॥ एक सौ दो ॥

प्लॉट नं० 707 ॥ सात सौ सात ॥ एकबारा 0.15 एकड़ ॥ पन्द्रह  
डिसमिल ॥ जिसकी चौहददी:-

उत्तर:- छोरा हाता मकान सवो पैहुड उराँव,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश,

पूरब :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' का कच्चा रास्ता,

पश्चिम:- बारी पतरस खड़िया ।

मालगुजारी 06 पैसा ॥ छः पैसा ॥ अलावे तैस सालाना ।

वर्षित विक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय

है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है ।

जिसका हॉलिंगनं० 0160000342 000एम. 0 है ।

श्री लकड़ा  
17-7-2018

श्री लकड़ा  
17-7-2018

गवाह- प्रेमप्रकाश प्रधान  
पिता- लक्ष्मण रंजन प्रधान  
ग्राम- मुड़िया तेलंगा टोली  
थाना- सिमडेगा  
जिला- सिमडेगा (झारखंड)  
ता:- 17/07/2018

मैं लेख्यधारिणी शमधूर्वक कहती हूँ कि पूर्व में मैंने बिक्रीत जमीन को किसी अन्य के पास बिक्री नहीं किया है।

§1§ चूंकि मुझ लेख्यधारिणी को बीमारी का इलाज एवं घरेलू दीगर खर्च के वास्ते रुपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रुपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वी बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन मेरी खरीदगी रैकती जमीन है जिसे मैंने हुन उराँव पित्त वारलेस उराँव से केवाला विक्रय पत्र जिसका संख्या 725 दिनांक 23.10.1986 को हासिल की हूँ। बाद खरीदगी के दाखिल खारिज वाद संख्या 247आर.27/1988-89 के द्वारा दाखिल खारिज अपने जास नाम से करवाई तथा मेरे नाम से शादि-पत्र निर्गत हुआ है। तब से मैं उक्त जमीन पर नियमित दखल चास कायम कर रही हूँ तथा राज्य सरकार को साल-ब-साल लगान भुगतान करती हूँ जिसका लगान निर्धारण पंजी II के भौल्युम III के पेज नं0 225 में दर्ज है। उक्त जमीन का खतियान में कायमी नाप कायम है तथा मनेजर इनकम्बर्ड इस्टेट मीन जानीब टोकैत शीरी नीवाश हुलुम सींध देव

खरीद लकडा  
8108-7-71



के नाम से लगान भुगतान होता था। उपरोक्त जमीन का विगत सर्वे में म्हीआ उराँव वो कोन्दा उराँव वो कौका उराँव पेशरान वरीआ उराँव के नाम से खतियानी नाम कायम था।

§ 4§ चुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 251/2017-18 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 17.7.2018 को प्राप्त हुई जिसका मेमो नं० 746 दिनांक 17.7.2018 है।

§ 5§ अब बाहिर कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर मकान, गहन, चुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से जो अदाय मानगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§ 6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवलगत वेला कलामो सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे जो वृत्त जरूरत पर काम आवे।

मैं, यह घोषणा करती हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजूरआ से संबंधित नहीं है। यह दस्तावेज नुं० १०-१०-१

2/व्यूम नं० 2 फेज नं०-506-509 तथा दस्तावेज संख्या - 725 दिनांक - 22-03-1993 में दर्ज है।

सरेन लॉन्डी  
17-7-2018

सरेन लॉन्डी

17-7-2018

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

हरेंज लकड़ा  
17-7-2018



हरेंज लकड़ा



Attested by  
Ramod Durgling  
Adv.

17-7-2018

हरेंज लकड़ा  
17-7-2018

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी ने अपने बायें हाथों के पाँचों अंगुलियों का निम्नान मेरे समक्ष की ।


Ramod Durgling  
Adv.  
17-7-2018

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो जरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

निशा लकड़ा  
17/7/2018



निशा लकड़ा



Attested by  
Ramod Durgling  
Adv.

17-7-2018

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी ने अपने बायें हाथों के पाँचों अंगुलियों का निम्नान मेरे समक्ष की ।

Ramod Durgling  
Adv.  
17-7-2018



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर उनको समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

श्रेता लकड़ा  
17-7-2018

तहो/-

*Shameel Dungeing*  
Adv.  
17-7-2018

प्रारूपकर्ता  
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो छपडन रहित है।

टंकक  
मो० महबूब  
17-7-2018  
मो० महबूब  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा।

अनुल गमक:-

1. बिक्रेतिका, फ्रेतिका एवं पहचानकर्ता का आधार कार्ड रुप फैन कार्ड का छायाप्रति,
2. परमिशन्न रेहसूल का मूल प्रति,
3. अंचल रिपोर्ट एवं आदेश का सच्ची प्रतिलिपि,
4. केवाला पदटा का छायाप्रति,
5. शुद्धि-पत्र का छायाप्रति,
6. मालशुजारी रसीद का छायाप्रति, (11) स्वतियान की छायाप्रति
7. इन्डिज मैप का छायाप्रति,
8. रेस मैप का मूल प्रति, (12) लेखपचारिणी का अपक-पत्र
9. फॉर्म नं० 1 का मूल प्रति,
10. हॉल्लिडिंग टैक्स का छायाप्रति,

पेज 2 के 13 लाइन में वर्ड नं० में-6 स्वम पेज नं०-4 के अंतिम 3 लाइन पेन से लिखा है। को सही है।  
दामो है।

श्रेता लकड़ा

17-7-2018